कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 585 /रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट,अगस्त, 16, ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 319.28 हे0 वन भूमि (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 98.28 हे0) के लीज का आगामी 30 वर्षो के नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018 के संबंध में ।

सन्दर्भः– 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–3393/11–सी FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक– 31.05.2022

2–आपका पत्रांक– 5069/मी0/33 दिनांक– 30.05.2022

3–अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी, गाजीपुर का पत्रांक– 1542/वि0प्रे0ख0 दिनांक– 29.06.2022

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2409/11–सी दिनांक–17.02.2022 द्वारा 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकण करनें का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–3436/रेनुकूट/15–7 दिनांक–02.05..2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या–3393/11–सी दिनांक–31.05.2022 द्वारा आपत्ति लगायी गयी, जिसके निराकरण करते हुए, सूचना/अभिलेख पांच प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, से अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, ने अपने कार्यालय के पत्रांक– 1705/वि0प्र0ख0 दिनांक–28.07.2022 द्वारा आख्या/रिपोर्ट ओबरा वन प्रभाग के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः–

"अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2 –93– 707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नानुसार उल्लिखित है :–

"उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।"

तत्क्रम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल प्रभाग से नवीनीकरण प्रस्ताव प्राप्त करते हुए ओवरा वन प्रभाग के कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि को लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने तथा समय–समय पर जारी गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रकिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रकिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमे किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि "वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जबकि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्योकि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है"।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना के लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।"

महोदय को अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लीज अवधि के समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात भी प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी दशा में लीज अवधि के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः महोदय को प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लिखित तथ्यों को अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 585 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र ।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी, गाजीपुर ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट